

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023—ज्येष्ठ 12, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2023

क्र. CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच (CT) (18).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

अनुक्रमांक 47-क के सामने, कॉलम (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 4 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा घोषित हेरिटेज मदिरा”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2023

क्र. CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच (CT) (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच (CT) (18), दिनांक 2 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 2<sup>nd</sup> June 2023

No. CT-4-0001-2022-Sec-1-V (CT) (18).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in schedule I of the said Act, namely :—

AMENDMENT

Against serial number 47-A, in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Heritage liquor, as declared by the State Government under Section 4 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

355